भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

आर0ई0आर0 वाद सं0–11/2015–16

भिखारी साह

बनाम्

कोका मराण्डी

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

2.5.17

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष द्वारा पक्ष रखा गया है।

भिखारी साह, पे0– स्व0 भुखलाल साह, साकिन–रघुनाथपुर, थाना–पोड़ैयाहाट, अंचल–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा द्वारा समर्पित आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–रघुनाथपुर, जमाबंदी नं0– 88/08, दाग नं0–1515, कुल रकवा– 0.38 डिसमिल, किस्म–बाड़ी श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा बन्दोवस्ती वाद सं0– 74/1975–76 द्वारा मौजा रघुनाथपुर में आवेदक के साथ बन्दोवस्त किया गया है।

आवेदक भिखारी साह द्वारा समर्पित आवेदन एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन आवेदक को बन्दोवस्ती के द्वारा उपलब्ध कराया गया है ना कि खतियानी रैयती जमीन है।

उक्त जमीन संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत कार्रवाई योग्य नहीं है।

आवेदक बन्दोवस्त भूमि से अगर बेदखल हो गये है तब अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के यहाँ समुचित कागजातों के साथ आवेदन करें। आवेदन प्राप्त होने पर अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

2.5.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

2.5.17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।